

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 275

दिनांक : 12/6/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- चौराखाड़ी से नयागांव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/34657/2022

प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक फ.()ए/फसीए/उ.व.सं./ 2023-24/5486-88 दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्ग एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में चाहे गये बिन्दु की पालना

निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	आदेश	प्रतियुत्तर
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक मार्ग का सही से परीक्षण नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भ्रामक मार्ग प्रस्तुत किये गये हैं। क्योंकि उक्त सड़क वन्यजीवों से भरपूर सघन जंगल/घाटीयों से होते हुए गुजरेगी जिससे वन्यजीवों पर विपरीत एवं गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो कि उचित नहीं है।	श्रीमान् जी, UA द्वारा संभावित वैकल्पिक मार्ग ही उपलोड किये गये हैं। इन मार्गों में से जो कम से कम दूरी में वन क्षेत्र आता है, उसी मार्ग पर प्रस्ताव बनाया गया है। तथा श्रीमान् जी द्वारा बताया गया है कि देवरी से चौराखाड़ी सड़क पहले ही बन चुकी है। जिसका प्रत्यावर्तन 2007 में हो गया है, परन्तु यह प्रस्ताव देवरी से चौराखाड़ी सड़क से नयागांव, महेशपुर को जोड़ने का है तथा ये गांव सहरिया (PVTG) बाहुल्य है। अतः गांव से आने-जाने के लिए इस सड़क को बनाना अतिआवश्यक है। जिससे (PVTG) लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त सड़क के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का श्रम करावें।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद